

नया रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2017

### अधिसूचना

सं. 64/2017- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच(170). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्टूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा देय विलंब फीस की रकम का अधित्याग कर सकती है, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु ऐसे विवरणों में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्टूबर माह से आगे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्याग जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच(170). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-91/2017/वाक/पांच(170), दिनांक 15-11-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 15th November 2017

NOTIFICATION  
No. 64/2017-State Tax

No. F-10- 93/2017/CT/V (170). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.